

उत्तर मध्य रेलवे
NORTH CENTRAL RAILWAY
परिशिष्ट 2ए (आई आर ई एम) परीक्षा 2015
APPENDIX II-A (IREM) EXAMINATION, 2015

सामान्य नियम एवं कार्य विधि (बिना पुस्तक के)
GENERAL RULES AND PROCEDURES (WITHOUT BOOKS)

अनुमानित समय - 3 घण्टे
Time Allowed - 3 hrs

अधिकतम अंक: 100
Maximum Marks: 100

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
Attempt any five questions. All questions carry equal marks.

1- Differentiate among any five of the following

नीचे दिए गए मर्दों में से किन्हीं पाँच का अंतर बताइए

- (a) संक्षिप्त प्राक्कलन एवं विस्तृत प्राक्कलन → 347
Abstract Estimate and Detailed Estimate
- * (b) विकास निधि एवं मूल्य ह्रास निधि 354
Development fund and Depreciation Reserve fund.
- (c) ब्याने की रकम एवं जमानत राशि
Earnest Money and Security Deposit
- (d) स्वीकृत खर्च एवं भारित खर्च
Voted Expenditure and Charged Expenditure
- (e) लोक लेखा समिति एवं प्राक्कलन समिति
Public Account committee and Estimates committee.

2- Write short note any five

निम्नलिखित किन्हीं पाँच पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए

- (i) क्षेत्रीय निर्माण कार्य
Zonal works
- (ii) कारखाना सामान्य रजिस्टर
Workshop General Register
- (iii) मार्गस्थ भण्डार
Store in transit
- (iv) मूल्य विभिन्नता उपबन्ध
Price variation clause
- (v) विक्रय उंचत
Sale suspense

3- भण्डार की खरीद के लिए बिल की जाँच का विस्तार से वर्णन करें?

Describe in detail the procedure for check a bill for store purchased?

उत्तर मध्य रेल

4. रेलवे कारखानों में विभिन्न प्रकार के ऊपरी लागत व्यय की चर्चा करें।

Describe the different types of On cost in Railway Workshop.

5. वित्त वर्ष के दौरान रेलवे द्वारा बजट संबंधी क्या-क्या समीक्षाएँ की जाती हैं?

What are the Budgetary Review made by the Railways during the course of Financial year?

6. टेंडर खोलते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए?

What precautions to be observed while opening the tenders?

7. वरिष्ठ मण्डल वित्त प्रबंधक द्वारा वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी के नाम पेंशन आदेश पुनर्निधारण केसों के भेजने में हो रहे विलम्ब के बारे में अर्द्धशासकीय पत्र लिखें।

Write a D. O. letter from Sr. DFM to Sr. DPO regarding the delay in submission of Revision of Pension pay order.